न्यायालय जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी–नथमल डिडेल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः–43/2021 विविध

भूप सिंह पुत्र सुखराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
---प्रार्थी

बनाम

1. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री सोहन लाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़।
2. श्रीमति श्वेता कोचर, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़।

---अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत रास्ता प्रकरण संख्या 19/2020 महेन्द्र सिंह बनाम इन्द्रा आदि की पत्रावली एसडीओ., नोहर से अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित करवाने बाबत।

उपस्थितः–1. श्री देवीलाल भांभू, एडवोकेट–प्रार्थी।
2. श्री सुरेन्द्र सहारण, एडवोकेट–अप्रार्थी सं. 1।
3. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधिवक्ता स्टेट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः–07.04.2022

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार से है कि उपखण्ड अधिकारी, नोहर के न्यायालय में रास्ता प्रकरण अनवानी महेन्द्र सिंह बनाम इन्द्रा आदि प्रकरण संख्या 19/2020 जेरकार है जिसमें आगामी तारीख पेशी 08.12.2021 निश्चित है। उपखण्ड अधिकारी, नोहर द्वारा प्रार्थी एवं अन्य हितबद्ध पक्षकारों को बिना सूचना दिये एक तरफा तौर पर मौका रिपोर्ट मंगवाई गई है तथा प्रार्थी द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जो खारिज कर दिया गया है। इस प्रकार रिकॉर्डेड खातेदार को बिना सुने एक तरफा तौर पर जल्दबाजी में मौका निरीक्षण करवाकर प्रार्थी के विरूद्ध निर्णय पारित करने पर अप्रार्थी संख्या 02 आमाद है। एस.डी.ओ., नोहर द्वारा भूप सिंह के अलावा जो सहकाश्तकार है। भूप सिंह की बहनें है उनकी कतई विधि विरूद्ध रूप से तामील करवाकर उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई है ताकि तुरन्त–फुरत में प्रार्थी के विरूद्ध निर्णय पारित किया जा सके। बरवाली गांव के अन्य प्रकरण शंकरलाल बनाम राजेश आदि में मौका रिपोर्ट शंकरलाल आदि के विरूद्ध आने पर एस.डी.ओ., नोहर ने आधा अधूरा बता कर पुनः रिपोर्ट मंगवाई गयी थी जबकि एक ही गांव के सेम प्रकरण में भादरा विधायक के दवाब में आकर एसडीओ नोहर द्वारा दौहरे मापदण्ड अपनाये जा रहे है। इसलिए प्रार्थी को एसडीओं नोहर से न्याय की उम्मीद नहीं है। प्रार्थी के गांव बरवाली में एक दलित परिवार का मकान तोड़ने में एसडीओ, नोहर की भूमिका एवं षड़यंत्र एवं दलित का झोंपड़ा तौड़ने एवं लाठी चार्ज प्रकरण में एसडीओ नोहर की असंवैधानिक कार्यवाही के विरूद्ध चल रही शिकायत में प्रार्थी ने दलित के पक्ष में आवाज उठाई थी इसी प्रकरण में एसडीओ, नोहर प्रार्थी से रंजीश रखते है तथा प्रार्थी को एस.डीओ, नोहर से न्याय की उम्मीद नहीं है। एसडीओ, नोहर भादरा विधायक के दबाव में है इसलिए अप्रार्थी संख्या 01 से सांठ–गांठ कर भादरा विधायक को खुश करने के लिए एसडीओ, नोहर प्रार्थी के विरूद्ध असंवैधानिक आदेश पारित करना

चाहती है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का उक्त प्रकरण को एसडीओ, नोहर से अन्य सक्षम अधिकारी को स्थानान्तरित करने की कृपा करें ताकि न्याय पूर्ण प्रक्रिया सम्भव हो सके।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया व उपखण्डाधिकारी, नोहर से तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की गई।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, नोहर द्वारा प्रार्थी एवं अन्य हितबद्ध पक्षकारों को बिना सूचना दिये एक तरफा तौर पर मौका रिपोर्ट मंगवाई गई है तथा प्रार्थी द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जो खारिज कर दिया गया है। अप्रार्थी संख्या 01 राजनैतिक पहुंच वाला व्यक्ति है। एसडीओ, नोहर भादरा विधायक के दबाव में है इसलिए अप्रार्थी संख्या 01 से सांठ–गांठ कर भादरा विधायक को खुश करने के लिए एसडीओ, नोहर प्रार्थी के विरूद्ध असंवैधानिक आदेश पारित करना चाहती है। प्रार्थी को यह आशंका है कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 01 के दबाव में आकर प्रार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही फैसला कर देगा। इसलिए अप्रार्थी संख्या 01 पीठासीन अधिकारी से कोई न्याय की उम्मीद नहीं होने पर विचारण न्यायालय में लम्बित प्रार्थना पत्र किसी अन्यत्र न्यायालय में निस्तारण हेतु अन्तरित किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

वकील अप्रार्थी संख्या 01 ने अपनी बहस में कथन किया है कि विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थी जानबूझकर प्रकरण को लम्बित रखने तथा प्रकरण में देरी करने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थी संख्या 01 का अपने खेत में आने–जाने हेतु रास्ता नहीं होने पर कृषि भूमि खाली पड़ी है जिससे से अप्रार्थी के आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो गई है तथा भूखे मरने की नोबत आ गई है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण पर जो आक्षेप अंकित किये है वे निराधार, मनघडंत एवं झूठे है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में विचारण न्यायालय पर जो आक्षेप अंकित किये है वे झूठे व निराधार है। प्रार्थी ने प्रश्नगत विचाराधीन प्रकरण में देरी करने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए. के तहत, को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरण करवाने के सम्बन्ध में है। पत्रावली पर उपलब्ध सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर की टिप्पणी का अवलोकन करने से उनके द्वारा किसी भी दबाव में कार्य नहीं किया जाना पाया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर के न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में वर्तमान पीठासीन अधिकारी व अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध जो आक्षेप अंकित किये गये है उनके सम्बन्ध में कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किये गये हैं और ना ही बहस के दौरान कोई ठोस कारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर के न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण में देरी करने के उद्धेश्य से यह प्रार्थना पत्र पेश किया जाना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर के न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण के स्थानान्तरण के बिन्दु पर विचार किया जाना उचित नहीं समझते है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर को निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत प्रकरण में न्यायिक प्रक्रिया को अपनाते हुए समुचित कार्यवाही करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे। आदेश की प्रति सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

आदेश आज दिनांक 07.04.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़